


पत्रावली पेश हुई । वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं ।  
न्यायालय का समय पूर्ण होने तक बार-बार आवाज लगाई  
गई । बार-बार आवाज लगाने के बाद भी वकील वादी/प्रार्थी  
उपस्थित नहीं । अतः प्रकरण को इसी स्तर पर अदम हाजरी  
अदम पैरवी में खरिज किया जाता है । पत्रावली फैसल सुनार  
होकर नम्बर से कम हो ब दाखील नम्बर हो ।



  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी